उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-83/2020/791/41-2020-129(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2020

संख्या-60/2020/432/41-2020-129(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद सहारनपुर स्थित मॉ श्री त्रिपुरा बाला सुन्दरी देवी मंदिर (देवबन्द) के सौन्दर्यीकरण कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- संख्या-60/2020/432/41-2020-129(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में त्रुटिवश मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ के साथ कोषाधिकारी, सहारनुपर भी अंकित किया गया है।

2. महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 6398/6-1-1/(41)/मु0मं0घो0/2019-20 दिनांक-25-2-2020 में की गई संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या-60/2020/432/41-2020-129(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 पर अंकित कोषाधिकारी, सहारनपुर को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-83/2020/791/41-2020-129(बजट)/2018 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / सहारनपुर ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ ।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, लखनऊ।
10- परियोजना प्रबंधक , सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम सहारनपुर ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in